प्रेस विज्ञप्ति
25/06/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत 24.06.2026 को कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूरु और बेलगावी में स्थित कुल 14 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई राज्य के आबकारी विभाग में कथित सुनियोजित भ्रष्टाचार तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के आरोपों के संबंध में की गई।

इस मामले में जांच की शुरुआत कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर की गई। प्राथमिकी में कर्नाटक आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों पर विभिन्न आबकारी लाइसेंसों के प्रसंस्करण/जारी करने के लिए अवैध रिश्वत लेने तथा इन अवैध धनराशियों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ और अवैध संपत्ति अर्जित करने के लिए करने के आरोप लगाए गए हैं।

एफआईआर से प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि एवं उन्हें और अधिक सुदृढ़ करने हेतु प्रवर्तन निदेशालय को विभिन्न सत्यापन योग्य शिकायतें एवं दस्तावेज प्राप्त हुए। इनसे यह संकेत मिला कि आरोपित लोक सेवकों द्वारा धन शोधन की गतिविधियां/प्रक्रियाएं अपनाते हुए अचल एवं चल संपत्तियों का अधिग्रहण, बेनामी लेन-देन तथा अपने परिवार के सदस्यों एवं सहयोगियों के माध्यम से विभिन्न व्यावसायिक उपक्रमों में निवेश किया गया। आरोप है कि इन संपत्तियों एवं निवेशों के लिए अवैध रूप से अर्जित धन का उपयोग किया गया।

तलाशी अभियान के दायरे में आबकारी विभाग के अधिकारी जगदीश नायक, के. एम. थम्मन्ना तथा वाई. डी. मंजूनाथ के साथ उनके परिवार के सदस्य, व्यावसायिक साझेदार एवं अन्य सहयोगी शामिल रहे।

कार्यप्रणालीः

तलाशी अभियान के दौरान निम्नलिखित कार्यप्रणाली का पता चला है–

1. राज्य का आबकारी विभाग लोक सेवकों, उनके सहयोगियों तथा निजी व्यक्तियों के एक संगठित नेटवर्क के रूप में कार्य कर रहा था, जिसका उद्देश्य विभिन्न माध्यमों से अवैध रिश्वत की वसूली करना था।
2. यह नेटवर्क एक सुव्यवस्थित तंत्र की भांति कार्य करता था, जो आबकारी दुकानों से प्राप्त भ्रष्टाचारजनित धन पर आधारित था। विभिन्न आबकारी दुकानों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रतिमाह निर्धारित राशि के रूप में अवैध रिश्वत का भुगतान किया जाता था। इसके अतिरिक्त, लाइसेंसों के नवीनीकरण, स्थानांतरण तथा नए लाइसेंस जारी किए जाने के दौरान भी अवैध धनराशि की वसूली की जाती थी। इस प्रकार एकत्रित अवैध धन को केंद्रीय स्तर पर एकत्र कर बिचौलियों एवं सहयोगियों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों में वितरित किया जाता था। ये बिचौलिए प्राप्त एवं वितरित धनराशि का लेखा-जोखा एक अनौपचारिक कैश बुक में संधारित करते थे, जिसे तलाशी के दौरान एक परिसर से जब्त किया गया।
3. इस प्रकार प्राप्त अवैध रिश्वत की धनराशि, जो अपराध से अर्जित आय है, का उपयोग संबंधित अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत उपभोग, अचल एवं चल संपत्तियों में निवेश तथा विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश के लिए किया जाता था।
4. जांच के दौरान धन शोधन की एक विशिष्ट कार्यप्रणाली का भी पता चला है, जिसके अनुसार आबकारी विभाग के अधिकांश अधिकारियों ने अपने परिवार के सदस्यों अथवा उनके नियंत्रणाधीन संस्थाओं/फर्मों के नाम पर मदिरा (शराब) लाइसेंस प्राप्त कर रखे थे तथा उनके माध्यम से अवैध रूप से मदिरा व्यवसाय संचालित किया जा रहा था।

5. इन व्यावसायिक गतिविधियों से प्राप्त आय को वैध व्यवसाय से अर्जित आय के रूप में प्रदर्शित किया जाता था, जिससे अपराध से अर्जित आय को वैध अर्थव्यवस्था में समाहित किया जा सके।
6. तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न परिसरों से डिजिटल उपकरण, रिश्वत की धनराशि के वितरण से संबंधित कैश बुक, संपत्ति संबंधी दस्तावेज तथा अन्य आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप वाई. डी. मंजूनाथ, उनके चालक, परिवार के सदस्यों तथा सहयोगियों के परिसरों से लगभग ₹5.5 करोड़ की नकद राशि, लगभग ₹7.8 करोड़ मूल्य के स्वर्ण आभूषण तथा लगभग ₹3.3 लाख मूल्य की विदेशी मुद्रा, जो अपराध से अर्जित आय है, जब्त की गई। इस प्रकार, इस प्रकरण में अब तक जब्त की गई अपराध से अर्जित आय का कुल मूल्य लगभग ₹13.3 करोड़ है।

प्रकरण में आगे की जांच जारी है।

